W.S.

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: गुण0वि0--नि0पा0पु0 निर्देश/1537/2013--14 दिनांक 08 जुलाई, 2013

विषय-- **शैक्षिक सत्र 2013--14 हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक--बी/498--873/2013--14 दिनॉक 18 अप्रैल, 2013 एवं राज्य परियोजना कार्यालय के आदेश संख्या गुण0वि0--नि0पा0पु0निर्देश/410/2013--14 दिनॉक 30 अप्रैल, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा शैक्षिक सत्र 2013--14 में सभी जनपदों में कक्षा--1 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूचितजाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालकों तथा सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें वितरित करने के विस्तृत निर्देश प्रदान किये गये हैं ।

उक्त के संबंध में यह जानकारी प्रकाश में आयी है कि सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था न किये जाने के कारण परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र--छात्राओं को निःशुल्क वितरित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों को क्षति पहुँच रही है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए यह आवश्यक है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के भण्डारण एवं विद्यालयों को निर्गमन की सुरक्षित एवं सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जाय। इस सम्बन्ध में तत्काल निम्न कार्यवाही अपेक्षित है:--

- पाठ्य पुस्तकों का सुरक्षित भण्डारण कराया जाये। यह ध्यान रखा जाये कि वर्षा, दीमक अथवा अन्यान्य कारणों से भण्डारित/परिवहन की जा रही पाठ्य पुस्तकों को ति न पहुँचे। खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं विद्यालयों को भी इस आशय के नेर्देश दिये जायें।

जनपद स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के भण्डारण तथा अभिलेखों के रख--रखाव के लिए मुख्यालय स्थित खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाय।

- विकास खण्ड स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के भण्डारण तथा अभिलेखीय रख–रखाव के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं वरिष्ठ सह–समन्वयक, ब्लाक संसाधन केन्द्र को उत्तरदायी बनाया जाय।
- विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक को पाठ्य पुस्तकों की मांग, प्राप्ति एवं वितरण सम्बन्धी अभिलेखों के साथ–साथ पाठ्य पुस्तकों के सुरक्षित रख–रखाव एवं वितरण हेतु उत्तरदायी बनाया जाय।

तद्नुसार आपसे अपेक्षा है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(अमृता सोनी)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0:गुण0वि0–नि0पा0पु0 निर्देश/1537/2013–14 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0,विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त जनपद, उ0प्र0।
7. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला परियोजना कार्यालय, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), जिला परियोजना कार्यालय, समस्त जनपद, उ0प्र0।

(अमृता सोनी)
राज्य परियोजना निदेशक